बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

संॅ0सं0– पि0व0/4/वि0यो0–22–06–2025– 21

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना दिनांक– 25/2/26

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, पतघाघर, संग्रामपुर, मुंगेर में पेय जलापूर्ति प्रणाली के संरचना, निर्माण हेतु कुल प्राक्कलित राशि रू० 28,99,134/– (रू० अठाईस लाख निन्यानवे हजार एक सौ चौंतीस) मात्र पर किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

2. राज्य स्कीम अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, पतघाघर, संग्रामपुर, मुंगेर में पेय जलापूर्ति प्रणाली के संरचना, निर्माण हेतु कुल प्राक्कलित राशि रू० 28,99,134/– (रू० अठाईस लाख निन्यानवे हजार एक सौ चौंतीस) मात्र पर किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 में उक्त राशि के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत मांग सं0–36 के तहत बजट शीर्ष–4215–जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–01–जल पूर्ति लघु शीर्ष–102–ग्रामीण जल पूर्ति उप शीर्ष –0135 पेय जलापूर्ति (पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग) विषय शीर्ष–53 01 मुख्य निर्माण कार्य विपत्र कोड–36–4215.01.102.0135 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

4. राशि की निकासी एवं व्यय वित विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17.04.98 तथा समय–समय पर वित विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों के तहत दिए गए निदेशों के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

5. स्वीकृत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा प्राधिकृत संबंधित लोक स्वास्थ्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता होंगे तथा इसकी निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी नियामानुसार करेंगें।

6. जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर के पत्रांक–138 दिनांक–20.02.2026 के द्वारा कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक–167 दिनांक–13.02.2026 के माध्यम से प्राप्त प्राक्कलन के आलोक में निर्धारित मापदण्ड, गुणवत्ता के अनुसार कार्य समय–सीमा के अन्दर पूर्ण किया जायेगा।

7. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के अनुसार सभी कार्यो को किया जाएगा एवं उच्च गुणवत्ता मानकों वाले सामग्रियों का उपयोग किया जाएगा। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना की होगी।

8. कार्य पूर्ण होने के उपरांत विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों का अनुपालन करते हुए सक्षम प्राधिकार को हस्तांतरित किया जाएगा तथा इसकी सूचना पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को भी निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

9. प्रस्ताव पर दिनांक–24.02.2026 को परिचालन के माध्यम से आयोजित स्कीम स्क्रिनिंग समिति की बैठक में अनुशंसा प्राप्त है।

10. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

11. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

12. इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार को दी जा रही है।

अनु0—यथोक्त।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

25/2/2026

(अनिल कुमार ठाकुर),

अपर सचिव।

ज्ञापांक— पि0व0 / 4 / वि0यो0—22—06 / 2025— 21 पटना, दिनांक— 25/2/26

प्रतिलिपि—सचिव / अभियंता प्रमुख—सह—विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/2/2026

अपर सचिव।

ज्ञापांक— पि0व0 / 4 / वि0यो0—22—06 / 2025— 21 पटना, दिनांक— 25/2/26

प्रतिलिपि—प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर / निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना / जिला पदाधिकारी, मुंगेर / उप विकास आयुक्त, मुंगेर / कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर / उप निदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर / जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर / कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुंगेर / उप सचिव, बजट शाखा, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना / अपर मुख्य सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव / आई0टी0 मैनेजर, (विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु), पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/2/2026

अपर सचिव।